राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

जयपुर, दिनांक: 10-4-14

क्रमांक प. 12 (6)शिक्षा–5 / 2014

निदेशक,
माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2014–15 से आर0टी0ई0 वेब पोर्टल पर निकाली गईं लाटरी के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आज दिनांक 10.04.2014 को अप्रेल, 2014 से सत्र प्रारंभ करने वाले विद्यालयों के लिए N.I.C. द्वारा निकाली गई लाटरी के संबंध में निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही करावें:–

1. जिन विद्यालयों ने वेब पोर्टल पर पंजीकरण तो किया है, लेकिन एक भी बालक के आवेदन की प्रविष्ठि नहीं की है। ऐसे विद्यालयों की सूची वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। इन विद्यालयों को दिनांक 21.04.2014 तक आवेदन पत्रों की प्रविष्ठि करने का अन्तिम अवसर दिया जाता है। इस के उपरान्त भी यदि कोई विद्यालय प्रविष्ठि नहीं करता है तो ऐसी संस्था को नोटिस जारी करे तथा मान्यता नियमों के अन्तर्गत विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करें तथा कार्यवाही का निदेशालय स्तर पर मॉनिटरिंग करें।
2. जिन बालकों के आवेदन पत्र किन्हीं कारणों से विद्यालयों द्वारा निरस्त किए गये है यदि उनके अभिभावक चाहें तो अपना अभ्यावेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को लॉटरी दिनांक से एक सप्ताह में प्रस्तुत कर सकेंगे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को ऐसे प्रकरणों का निस्तारण अभयावेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर करना होगा। निदेशालय स्तर पर इस कार्य की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

वरिष्ठ शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:–शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई / सी / निःशुल्क सत्यापन / 18878 / 14–15 / 170 दिनांक:– 11/4/14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव संयुक्त शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग(ग्रुप–5)शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, शिक्षा संकुल जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा के समस्त उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त मा./उमा. मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तदनुसार सूचित करवाकर पालना सुनिश्चित कर लें।
7. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा........................को भेजकर लेख है कि अपने मण्डल के समस्त जि.शि.अ(प्रा.शि) एवं बीईईओ कार्यालयों तथा प्रा./उ.प्रा. मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तदनुसार सूचित करवाकर पालना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को तत्काल अवगत करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा.शि.).................... को भेजकर लेख है कि अपने जिले के समस्त बीईईओ कार्यालयों एवं प्रा./उ.प्रा. मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तदनुसार सूचित करवाकर पालना सुनिश्चित करें तथा की गई कार्यवाही से निदेशालय को तत्काल अवगत करावें।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर